## **Hallmarking Department**

Our Ref: HMD/15820 11 Oct 2018

Subject: Implementation of amendment no. 2, August 2018 to IS 15820:2009 (General requirement for establishment and operation of Assaying and Hallmarking Centre.)

- 1. Amendment no.2 to IS 15820: 2009 has been published. As per Gazette Notification NO. S.O 4146 (E) dated 14 August 2018 it has been decided to implement the same with immediate effect.
- 2. All Regions are requested to inform the A&H centres in their Jurisdiction about the above amendment.

Vikrant, Sc. C

**HMD** 

H (HMD)

**Circulated to ROs through Intranet** 

**Copy to: ITSD – for hosting in Intranet** 

## हॉलमार्किंग विभाग

हमारा संदर्भ: एचएमडी/15820

11 अक्टूबर 2018

विषय: IS15820: 2009 की संशोधन संख्या 2 अगस्त 2018 का अनुपालन (General Requirement for establishment and operation of Assaying and Hallmarking Centre.)

- आई ए एस 15820: 2009 की संशोधन संख्या 2 को प्रकिशत किया गया है । गज़ेट नोटिफिकेशन संख्या S.O 4146 14 अगस्त 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है ।
- 2. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है की अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी ए एवं एच केन्द्रों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वन के बारे में सूचित करें।

विक्रांत

वैज्ञानिक – सी, एचएमडी

प्रमुख, (हॉलमार्किंग विभाग)

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों intranet के माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि:

ITS - इंट्रानेट पर अपलोड करने के लिए